

भारत और केपटाउन कन्वेंशन

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के वमिानन ढाँचे को मज़बूत करने और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के क्रम में वमिानन वस्तुओं में हतियों के संरक्षण और प्रवर्तन वधियक को मंजूरी दे दी है।

- इसका उद्देश्य कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटररेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट (केप टाउन कन्वेंशन), प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट (केप टाउन प्रोटोकॉल) के प्रावधानों को अनुमोदित एवं लागू करना है।

केप टाउन कन्वेंशन (CTC):

- परचिय:
 - CTC एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके तहत ऋणदाताओं (जैसे पट्टादाता, उधारदाता और वतितपोषक) को वमिान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी उच्च मूल्य वाली मोबाइल परसिपत्तियों के अधग्रहण की अनुमति (यदि एयरलाइन द्वारा पट्टा भुगतान में चूक की जाती है) दी गई है।
 - इसे वर्ष 2001 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था।
- प्रमुख वशिषताएँ:
 - अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री: मोबाइल उपकरणों से संबंधित हतियों को दर्ज करने के लिये एक वैश्विक रजिस्ट्री की स्थापना के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं पंजीकृत लेनदारों के दावों को प्राथमिकता देना।
 - डिफॉल्ट उपचार: ऋणदाताओं के लिये स्पष्ट उपचार प्रदान करना, जसिमें जटिल स्थानीय वधिक प्रक्रियाओं के बनिा वमिान का पंजीकरण रद्द करना तथा नरियात करना शामिल है।
- केप टाउन प्रोटोकॉल: CTC के पूरक के रूप में इसके तहत वमिान वतितपोषण और पट्टे के लिये वशिषिट नयिम नरिधारित किये गए हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत ने वर्ष 2008 में CTC पर हस्ताक्षर किये थे लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिये इस कन्वेंशन के प्रावधान भारत पर वधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत में वशि्व का तीसरा सबसे बड़ा धरेलू वमिानन बाज़ार है।

और पढ़ें: [भारत का वमिानन उद्योग](#)